

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :एफ.6(62) / परि / कर / मु/ 11/ 14200

जयपुर, दिनांक:- 21/03/2016

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार यह राय होने पर उक्त वाहन के लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर के वाहन की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार यह राय होने पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत देय कर के संदाय से एतद्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्न शर्तों पर छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- (i) उक्त वाहन का उपयोग संख्या द्वारा अनन्य रूप से राजस्थान राज्य की कला एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिये किया जायेगा, और
- (ii) वाहन का किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि में उपयोग नहीं किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से.

26
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :एफ.6(62) / परि / कर / मु/ 11/ 14201-14215 जयपुर, दिनांक:- 21/03/2016
प्रतिलिपि:- निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 21/3/2016 में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि, जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समरत मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंधल, सिरटम एनालिस्ट को विभाग की वेबसाइट पर अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक / अतिरिक्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।
14. सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी, अकादमी संकुल, जे-15, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

26
संयुक्त शासन सचिव